



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 अग्रहायण, 1942 (श०)

संख्या- 614 राँची, गुरुवार,

03 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

29 अक्टूबर, 2020

संख्या :- 7/प्रोन्नति-201/2016 का. 5477-- श्री रविन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची सम्प्रति-अवर सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित थी। तदनुसार दिनांक-02.11.2018 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा इनकी उप सचिव कोटि में प्रोन्नति के मामले को मुहरबंद किया गया।

2. श्री सिंह, अवर सचिव के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अंतिम निर्णय संकल्प संख्या 5406 दिनांक 22.10.2020 द्वारा निर्गत है, जिसके द्वारा श्री सिंह को आरोप मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया गया।

3. विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 की कंडिका-2 (vi) के अनुसार अनुशासनिक मामले के समाप्त होने एवं सरकारी सेवक को दण्ड नहीं दिये जाने की स्थिति में मुहरबन्द लिफाफा को खोलते हुए कार्रवाई करने का निदेश है तथा ऐसे मामले में प्रोन्नति की तारीख कनीय पदधारक को दी गई प्रोन्नति के संदर्भ में निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है साथ ही वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2074 दिनांक 04.04.1985 में वैचारिक प्रोन्नति के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया है कि सम्बन्धित वरीय सरकारी सेवक को कनीय को दी गई तिथि से प्रोन्नति देते

हुए उनका वेतन उच्चतर वेतन में इस प्रकार निश्चित किया जायेगा, मानो वे कनीय को दी गई प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नत हों तथा इसका वास्तविक लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगा।

4. वर्णित प्रावधानों के आलोक में श्री सिंह से सम्बन्धित मुहरबन्द लिफाफा दिनांक- 28.10.2020 को खोला गया, जिसमें श्री सिंह को प्रोन्नति के योग्य अनुशंसित किया गया है।

5 वरीयता क्रम के अनुसार श्री सिंह से कनीय श्री अवनी कुमार अम्बष्ट को विभागीय अधिसूचना संख्या 4510 दिनांक 30.05.2016 सह-पठित ज्ञापांक 4524 दिनांक 30.05.2016 द्वारा उप सचिव कोटि में प्रोन्नति दी गई है, जिस पर श्री अम्बष्ट द्वारा दिनांक 31.05.2016 को प्रभार ग्रहण किया गया है।

6 अतएव वर्णित स्थिति में श्री रविन्द्र कुमार सिंह, अवर सचिव (पी.बी.-III, पे० बैण्ड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11), उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को उप सचिव कोटि (पी०बी०-III, पे० बैण्ड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में उनसे कनीय को दी गयी प्रोन्नति की तिथि दिनांक-30.05.2016 से वैचारिक प्रोन्नति एवं कनीय द्वारा उक्त पद पर किए गये पदभार ग्रहण की तिथि दिनांक-31.05.2016 से वैचारिक वेतन निर्धारण के लाभ के साथ प्रोन्नति प्रदान करते हुए उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची में उप सचिव के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

7. प्रोन्नत पदाधिकारी को प्रोन्नत पद पर झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 के आलोक में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।
